रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 889] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 20, 2013/चैत्र 30, 1935
No. 889] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 20, 2013/CHAITRA 30, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2013

सं. 7 (आर.ई.—2013)/2009—2014

का.आ. 1006(अ).— विदेश व्यापार नीति, 2009—14 के पैरा 1.2 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, विदेश व्यापार नीति (आर.ई : 2013)/2009—14 के पैरा 5.1 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है।

विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.1 (च) के बाद एक नया उप—पैरा (छ) जोड़ा जा रहा है:

"5.1(छ) निम्नलिखित के लिए किसी भी पूंजीगत माल के आयात के लिए ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकारपत्र जारी नहीं किया जाएगा (जिसमें आंतरिक संयंत्र तथा किसी भी प्रकार के पावर जनरेटर सेट शामिल हैं)

(i) विद्युत ऊर्जा (पावर) का निर्यात

(ii) मान्य निर्यातों के तहत विद्युत ऊर्जा (पावर) की आपूर्ति

(iii) अपनी इकाई में पावर (ऊर्जा) का उपयोग, तथा

(iv) विद्युत पारेषण सेवाओं की आपूर्ति/निर्यात।"

अधिसूचना का प्रभाव : ऊर्जा (पावर) के उत्पाद/पारेषण हेतु पूंजीगत माल का आयात अब उपलब्ध नहीं होगा।

[फा. सं. 18/176/एएम—12/ईपीसीजी—II]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2013

No. 07 (RE–2013)/2009-2014

S.O. 1006(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.2 of the Foreign Trade Policy 2009-2014, the Central Government hereby amends, with immediate effect, Para 5.1 of the Foreign Trade Policy (RE-2013)/2009-14.

A new sub-para (g) is being inserted after para 5.1(f) of FTP as under:

"5.1(g) Authorization under EPCG Scheme shall not be issued for import of any Capital Goods (including Captive plants and Power Generator Sets of any kind) for

i. Export of electrical energy (power)
ii. Supply of electrical energy (power) under deemed exports
iii. Use of power (energy) in their own unit, and
iv. Supply/export of electricity transmission services."

Effect of Notification: Import of Capital Goods for production/transmission of energy (power) will no longer be available.

[F. No. 18/176/AM-12/EPCG-II]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054